61

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निग-2798/I/16

सुरेन्द्र आनंद तनय हरिवंशलाल आनंद
निवासी नौगांव रोड, छतरपुर जिला छतरपुर ......निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्व

म.प्र.शासन ......अनावेदक

[illegible] 19-8-16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/बी–121/15–16 पारित आदेश दिनांक 03/8/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि खसरा क्र 3353 रकवा 0.437 हे भूमि के व्यवस्थापन किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 162 की उपधारा 1 के अंतर्गत अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व किया गया तथा तहसीलदार छतरपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया तथा अपर कलेक्टर आवेदक को चकव्यवस्थापन की पात्रता में मान्य किए जाने के उपरांत भी प्रकरण में विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर आवेदक की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित कर विधि विपरीत कार्यवाही की जा रही है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदक द्वारा चाही गयी भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियां है जिस कारण से वह भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता है

(निलेन्द्र सिंघई 94251-71223)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2798/I/16 जिला ....छतरपुर...........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-16	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित तथा अनावेदक शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क सुने। यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 36/बी–121/वर्ष 15–16 में पारित आदेश दिनांक 3/08/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 3353 रकवा 0.437 हे भूमि पर आवेदक के कब्जे की भूमि है जिस कारण से उसके द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि संहिता की धारा 162(1) के अधीन प्रश्नाधीन भूमि का चकव्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किए जाने का आदेश पारित किया जाये जिसके आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर तहसीलदार छतरपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया परंतु अपर कलेक्टर द्वारा स्वंय तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होने के उपरांत भी विधि विपरीत आदेश किया गया है जिस कारण से निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक का तर्क हैं कि वर्ष 2000–01 से 2009–10 तक कब्जा होने के कारण आवेदक पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया था जिसकी रसीदे 28/179 व 31/8714 क्रमशः दिनांक 28/11/2000 एंव 4/12/2009 अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी। प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा है तथा आवेदक लगातार कृषि कार्य करता चला आ रहा है हल्का पटवारी द्वारा तदसंबंध का प्रतिवेदन तहसीलदार छतरपुर को प्रेषित किया गया जिसके	

R 2798 I/16 (छ.म.प्र.)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आधार पर तहसीलदार छतरपुर द्वारा दिनांक 30/6/16 को अपना प्रतिवेदन आवेदक को पात्र मान्य करते हुए पूर्ण अनुशंसा सहित अपर कलेक्टर छतरपुर को प्रेषित किया गया था जिसको अपर कलेक्टर द्वारा मान्य करते हुए आवेदक को व्यवस्थापन की श्रेणी में भी मान्य किया गया है परंतु अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन मात्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि आवेदक के पास अन्य भूमि है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अपर कलेक्टर का यह तर्क कि आवेदक के पास अन्य भूमि है इस कारण आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है मान्य योग्य नहीं क्योंकि आवेदक द्वारा स्वंय आवेदन पत्र ही इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की भूमि खसरा क्र 3350/2, 3352, 3351, 3354 के मध्य है जिस पर आने जाने का कोई रास्ता ना होने के कारण प्रश्नाधीन भूमि पेंच भूमि है इस कारण से संहिता के प्रावधान एंव राजस्व पुस्तक परिपत्र के उपबंधों के आधार पर आवेदक का आवेदन स्वीकार्य योग्य था। उपरोक्त आधारों पर आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 4— उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निंविवादित तथ्य है कि भूमि खसरा क्र 3352, 3351 एंव 3354 आवेदक के निजी स्वामित्व की भूमियां है तथा उक्त भूमियों के मध्य प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 3353 स्थित है। प्रकरण में प्रस्तुत तहसीलदार छतरपुर के प्रतिवेदन से यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर अनेक वर्षों से कब्जा भी चला आ रहा है तथा वर्तमान में वह भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है तदसंबंध में उल्लेखनीय है कि म.प्र. भू राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्योदश 2015 की कंडिका 05 धारा 162 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 162 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जायें अर्थात् (1) धारा 248 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस निमित बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में जो कि	

R 2798.I/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जायें, राज्य सरकार की किसी भूमि का जो कि अनाधिकृत कब्जे में हो कलेक्टर द्वारा उस सीमा तक तथा ऐसी राशि का भुगतान कर दिए जाने पर जैसी कि विहित की जाए कृषिक प्रयोजन के लिए भूमिस्वामी अधिकारों में और अकृषिक प्रयोजनों के लिए सरकारी पट्टेधारी हक में व्ययन किया जा सकेगा।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को पात्रता की श्रेणी में पाते हुए उसका आवेदन पत्र मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदक के पास पूर्व से अन्य भूमियां है जबकि आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र प्रश्नाधीन भूमि पर उसका निरंतर कब्जा होने के आधार पर एंव भूमि आवेदक की भूमियों के मध्य स्थित होने व उस पर कोई पहुंच मार्ग ना होने के आधार पर प्रस्तुत किया गया था जिससे स्पष्ट है स्वंय आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य भूमियों का उल्लेख किया गया था तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र एंव संहिता के प्रावधान अनुसार पेंच भूमि के संबंध में भूमिहीन होना आवश्यक नहीं है वरन् भूमि आवेदित व्यक्ति के मध्य होना आवश्यक है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता व अन्य विधानों के नियमों का पालन नहीं किया गया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/08/2016 निरस्त किया जाता है परिणामतः प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक के पक्ष में चकव्यवस्थापन स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज रखते हुए यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	